5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

379

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००७ पुनरीक्षण.

निग० 1731-I/07

जुनवाद काछी पुत्र लोका काछी,
निवासी ग्राम पल्टा, तेहसील गौरिहार
जिला छतरपुर (म०प्र०) ----आवेदक.

वनाम.

१) देवीदीन पुत्र गरीवा कहार,
२) रामऔतार पुत्र गरीवा कहार,
३) कल्लू पुत्र गरीवा कहार,
समस्त निवासीगण ग्राम पल्टा तेहसील गौरिहार
जिला छतरपुर (म०प्र०)

-- ---- अनावेदकगण.

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांक २० अगस्त २००७ पारित द्वारा श्री पी० जी० गिल्लोरे अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर, अपील प्रकरण क्रमांक ३४९/अ-७०/२००५ वउनवान जुनवाद काछी वनाम देवीदीन व अन्य ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्नलिखित प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

SDO Remanded the case to Tahsildar by order dt 16/01/2006

(अ) यहकि, विवादित भूमि स्थित ग्राम पल्टा के सर्वे क्रमांक १५८९, १५९०, १५९१ क्रमशः रकवा ०-६४, ०-८५, ०-१५ हे० को आवेदक द्वारा भूमिस्वामी कुंजराजसिंह पुत्र लालजू ठाकुर के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पंजीयत विक्रय-पत्र दिनांकी २१ जुलाई १९९२ द्वारा क्रय की एवं आधिपत्य ...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1731-एक/2007 जिला छतरपुर चुनवाद विरूद्ध देवीदीन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक चुनवाद की ओर से अभिभाषक श्री सुन्दरम श्रीवास्तव एवं अनावेदक देवीदीन व अन्य की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव को दिनांक 09-01-2019 को सुना गया। यह निगरानी आवेदक के द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा उनके अपील प्रकरण क्रमांक 349/अ-70/2005-06 (चुनवाद विरूद्ध देवीदीन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20-08-2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 3. आवेदक के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि " विवादित भूमि स्थित ग्राम पल्टा कि सर्वे क्रमांक 1589, 1590, 1591 क्रमश: रकवा 0-04 0-05, 0-15 है की आवेदक द्वारा भूमिस्वामी वृजराज सिंह पुत्र लालजी ठाकुर के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पंजीवत विक्रय-पत्र दिनांकी 21 जुलाई 1992 द्वारा क्रय की एवं आधिपत्य प्राप्त किया। अनावेदकगण द्वारा विना किसी अधिकार के आवेदक की अंश भाग भूमि पर कब्जा किया ऐसी जानकारी पटवारी द्वारा आवेदक को दी,जिस पर से आवेदक ने विधिवत सीमाकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जो प्रकरण क्रंमाक 34अ/12/2000-01 पर पंजीवद्ध किया जाकर विधिवत अनावेदकगण को सुनवाई कर आवेदक की उपस्थिति मे सीमाकन का आदेश पारित किया जिसके आधार पर आवेदक ने कब्जा वापसी हेतु तहसील न्यायालय गौरिहार के समक्ष कब्जा वापसी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो प्र. क्रं. 18ए/70 वर्ष 2000-01 पर दर्ज हुआ और आदेश दि. 30-03-2002 के द्वारा कब्जा वापसी का आदेश पारितकिया गया, जिसके खिलाफ अनावेदकगण ने वेरूनम्याद अपील अनुविभागीय अधिकारी लोडी (गोरिहार) के समक्ष प्रस्तुत	

की जो आदेश दि. 19-12-2003 द्वारा स्वीकार की गयी एवं अधीनस्थ मूल न्यायालय का आदेश दिनांक 30-03-2002 निरस्त किया गया। प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । उक्त आदेश के खिलाफ आवेदक द्वारा अधीनस्थ अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 20 अगस्त 207 द्वारा निरस्त की गई।"

4. अतिरिक्त आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 20-08-2007 में निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है ।

" विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में मैंने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया तथा पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गौरिहार के न्यायालय में प्रचलित राजस्व प्रकरण क्रमांक 18/अ-70/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 30-03-2002 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी/ गौरिहार के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जिसमें विद्वान अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी द्वारा प्रकरण के समग्र पहलुओं पर विचार करते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरणका विधिवत परीक्षण कर विधिवत आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है। अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी / गौरिहार द्वारा पारित प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्ध अपील मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा – 46 (घ) के तहत इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अतएव अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में पोषणीय न होने के कारण इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।"

4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 19-12-2003 के आदेश में निम्नानुसार आदेश दिया गया है ।

" अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अध्ययन किया गया तथा यह उचित है कि नये रोस्टर मे रिकार्ड में गल्लतियां है जिसे सुधार करने की कार्यवाही न्यायालय द्वारा की जा रही है। उक्त आधार पर अपीलार्थी की बहस से सहमत होते हुये तथा रिकार्ड परीक्षण पश्चात अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरणका विधिवत परीक्षण कर उचित आदेश पारित करें।"

5. आवेदक अभिभाषक के तर्को को सुनने व अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन उपरांत अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यता प्रतीत न होने से निगरानी आवेदन अस्वीकार की जाती है । अतिरिक्त आयुक्त

सागर संभाग सागर का आदेश दिनांक 20-08-2007 एवं अनुविभागीय अधिकारी लोड़ी का आदेश दिनांक 19-12-2003 स्थिर रखा जाता है ।

6. उभयपक्ष अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय में दिनांक 12-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19-12-2003 के अनुक्रम में आगामी कार्यवाही हेतु उपस्थित हों ।

2/3/3

(आर.के. जैन)
सदस्य